

श्री कश्यप : क्या यह बात सही है कि सरकारी बसों से प्राइवेट कम्पनियों की बसों में जनता को ज्यादा सुहूलियत होती है ? यदि हाँ, तो क्या इस को देखते हुए सरकार प्राइवेट कम्पनियों को दिल्ली नगर में बसें चलाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : जी, ऐसा कोई इरादा डी० टी० यू० का नहीं है, बल्कि जो एक्सपर्ट कमेटी विठायी गयी थी उस की एक सिफारिश यह है :—

'abandoning of all proposals for acquisition of vehicles of private operators or, alternatively having arrangements with them'.

Shri Kapur Singh: Since the Government are not prepared to implement the principle of competing additional bus services, what other means do they propose to adopt to relieve the widespread misery of the passengers who have to use the DTU?

Shri Raj Bahadur: It has been recommended by the experts committee that the DTU should acquire 200 buses per annum for the next three years which I hope would be able to provide the needed capacity of transport. Apart from that, immediate steps have also been taken by borrowing buses from neighbouring States and also by introducing double deckers. This is constantly under watch and we try to do as best as we can.

Shri S. N. Chaturvedi: Since the recommendations of the expert committee, has there been any improvement in the number of breakdowns on roads?

Shri Raj Bahadur: The recommendations have been made, they are being considered and would be acted upon.

Agricultural Finances through Co-operatives

*186. **Shri Yashpal Singh:** Will the Minister of Community Development

and Co-operation be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 454 on the 3rd September, 1963 and state:

(a) whether recommendations or observations of F.A.O. Team which visited India to carry out survey of agricultural finance through co-operatives and other farmers' organisations have since been received; and

(b) if so, the nature thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

श्री यशपाल सिंह : कोआपरेटिव बेसिस पर जो कर्जा किसान को दिया जाता है वह ६ परसेंट ब्याज पर दिया जाता है, जब कि रिजर्व बैंक २ परसेंट तक देता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इतना बोझ काश्तकार उठा सकता है ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह तो सही नहीं कि हर जगह ६ परसेंट ब्याज लिया जाता है। साधारणतया सवा ६ परसेंट से ८ परसेंट तक लिया जाता है। एक दो राज्यों में सवा ६ परसेंट ब्याज लिया जाता है। थोड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक कनसेशनल फाइनेंस के रूप में बैंक रेट से २ परसेंट कम पर देता है कोआपरेटिव के लिये। इसके अलावा जो कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट बैंक, अपेक्स बैंक और सोसाइटीज, उनको डिपॉजिट मारकेट रेट पर लेना पड़ता है। इस लिये यह भ्रम दूर हो जाना चाहिये कि रिजर्व बैंक सारा रूपया कनसेशनल फाइनेंस के रूप में देता है। और किसानों से ६ परसेंट लिया जाता है। जो इस समय रूपया इतने ज्यादा ब्याज पर दिया जाता है उसका कारण यह है कि डिस्ट्रिक्ट बैंक, अपेक्स बैंक्स और सोसाइटीज तीनों लेविल्स पर कुछ मुनाफा करना जरूरी है। इसलिये सवा ६ से लेकर ८ परसेंट ब्याज पर रूपया किसानों को दिया जाता

है। इतना सरकार उचित समझती है और इसके लिये प्रयास किया जा रहा है।

श्री यशपाल सिंह : किसान जो अनाज के रूप में कर्जा देने के लिये होता है, एक साल बाद अगर दस सेर लिया है तो १५ सेर वापस देना पड़ता है, क्या यह सही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह सही नहीं है। केवल उड़ीसा में और बिहार के कुछ हिस्सों में गल्ला सवाई पर दिया जाता है। इसका कारण यह है कि जो गल्ला दिया जाता है वह सूखा होता है और जो वापस मिलता है उसमें नमी होती है। इसकी जांच करके रिजर्व बैंक ने यह तै कर दिया है कि २५ परसेंट तक लेना उचित है।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि जो कोऑपरेटिव बैंक किसानों को शार्ट टर्म लोन देती है वह किसान उस लोन को अपनी पैदावार या नकद अपनी बचत में से वापस नहीं कर सकता और उसके लिये कागज बदलवाता है और इसलिये उसको ५ परसेंट से १० परसेंट माहवार तक ब्याज देना पड़ता है इससे करपणन होता है...

अध्यक्ष महोदय : आप तो बहुत लम्बा स्टेटमेंट देने लगे।

श्री कृष्णपाल सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट इस बात को सोचती है कि शार्ट टर्म लोन की मर्यादा अब समाप्त कर दी जाये और सिर्फ मीडियम और लांग टर्म लोन दिया जाय ताकि किसान को नुकसान बरदाश्त न करना पड़े ?

श्री श्याम धर मिश्र : शार्ट टर्म लोन की भी जरूरत होती है और मीडियम और लांग टर्म लोन की भी। यह सही नहीं होगा कि सिर्फ मीडियम टर्म लोन दिया जाय क्योंकि इससे इनवेस्टमेंट लांगर पीरियड तक रखना होगा।

Shri Firodia : May I know whether the recommendations made by the Vaikunt Lal Mehta Committee are to be implemented in this connection?

Shri Syam Dhar Misra : The most important recommendations have already been accepted by Government and the Reserve Bank, and are being implemented.

Cooperative Sugar Factories

1

*187. {
 Shri S. M. Banerjee:
 Shri Prakash Vir Shastri:
 Shri Sivamurthi Swamy:
 Shri Sarjoo Pandey:
 Shri Bishwanath Roy:
 Shri Ramachandra Ulaka:
 Shri N. R. Laskar:
 Shri Dhuleshwar Meena:
 Shri Hari Vishnu Kamath:
 Shri P. G. Sen:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether some more co-operative sugar factories are to be established in the country during the remaining period of Third Five Year Plan; and

(b) if so, the total number of such factories and their proposed location?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Food and Agriculture (Shri Shinde): (a) and (b). Out of 54 new cooperative sugar factories licensed, only 15 remain to be established. Most of these factories are expected to be established during the remaining period of the Third Five Year Plan. A statement giving the names and proposed locations of these factories is laid on the Table of the House. Placed in Library. See No. LT-1920/63].

Shri S. M. Banerjee: From the statement it appears that in U.P. only one factory is to be established. I want to know whether Government intend to take over some of those sugar factories which are supposed to be uneconomic units in the eastern districts.